न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 225/2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

रूपनाथ मुण्डा – विक्रेता

सुन्दर मुण्डा – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
30.10.18	(see below)	

आदेश

आवेदक रूपनाथ मुण्डा पिता कजरू मुण्डा ग्राम–सिम्बुकेल, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने सुन्दर मुण्डा पिता श्री राईसी मुण्डा ग्राम–हबुईडीह, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
सिम्बुकेल	76	23	65	0.20

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 016361 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 918 दिनांक 27.10.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम दुगा मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार मुचीराय मुण्डा वैगरह के नाम भूमि का रकवा 34.30 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकवा 4.2875 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2014–15 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 4396.00(चार हजार तीन सौ छयानब्बे)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.0875 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण रूपनाथ मुण्डा पिता कजरू मुण्डा को सुन्दर मुण्डा पिता श्री राईसी मुण्डा के साथ ग्राम सिम्बुकेल के खाता सं0 23 खेसरा संख्या 65 का रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 4396.00(चार हजार तीन सौ छयानब्बे)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 30/10/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

(हस्ताक्षर) 30/10/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।